संख्या-247/2026/I/1347727/2026/003/ 23-6099/24/2024

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत सहारनपुर क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 10 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत सहारनपुर क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 10 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 1267.51 लाख (रूपये बारह करोड सडसठ लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21535/CE-SEB/RYB/SAH/2026-27 Dt- 15-05-2026	प्रा.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में सहारनपुर नकुड गंगोह थानाभवन मार्ग (अ०जि०मा०) के कि०मी०-4 में लघु सेतु का निर्माण कर्य।	373/2025/आई/1167842/2025/23-6099/212/2025-दिनांक-08-12-2025	489.54 489.54 2.57 486.97	10.91	476.06	78.79	21.21	100.00
2	तदैव	प्रा.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में पुराना एन0एच0-73 (नया एन0एच0-344) के किमी-36 के गागलहेडी से सहारनपुर होते हुए सरसावा (अ0जि0मा0) के किमी0-13 में सेतु के निर्माण कर्य।	375/2025/आई/1167980/2025/23-6099/228/2025-दिनांक-09-12-2025	808.63 808.63 0.44 808.19	161.73	646.46	118.19	31.81	150.00
3	तदैव	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर जसौला से कैलावडा मार्ग के किमी0-1 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x5 मी० स्पॉन की बाक्स कल्वर्ट पुलिया का निर्माण कार्य।	322/2025/आई/1133489/2025/23-6099189/2025-दिनांक-05-11-2025	138.43 138.43 22.61 115.82	46.25	69.57	50.25	13.53	63.78
4	22142/CE-SEB/RYB/SAH/2026-27 Dt- 27-05-2026	नि.ख.-3 सहारनपुर	अम्बेहटा कैंडल सिंहखेड़ा मार्ग के किमी0-6 से निकलकर मार्ग के धर्मपुर मार्ग पर काठा नाला (बरसाती नाले) 3/66/0 मी० स्पान दे लघु सेतु का निर्माण एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का कार्य।	316/2025/आई/1130328/2025/23-6099/180/2025-दिनांक-31-10-2025	259.52 259.52 4.55 254.97	229.47	25.50	20.09	5.41	25.50

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	तदैव	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में चांदपुर से शोरम मार्ग के किमी0-3 में हरसौली नाले पर स्थित संकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नई पुलिया का निर्माण कार्य।	316/2025/आई/1 130328/2025/2 3-6099/180/202 5-दिनांक-31-10-2025	112.87 112.87 4.13 108.74	56.44	52.30	36.92	9.94	46.86
6	22158/CE-SEB/RYB/SAH/2026-27 Dt- 27-05-2026	प्रा.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में जनता मार्ग से मण्डौरा मार्ग पर स्थित ढमोला नदी पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु का पुनः निर्माण कार्य	309/2025/आई/1 127543/2025/2 3-6099(099)/28 0/2025-दिनांक-3 0-10-2025	119.60 119.60 2.11 117.49	59.80	57.69	39.40	10.60	50.00
7	तदैव	प्रा.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में दतौली संघड से मंसापुर मार्ग के किमी0-2 में लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	309/2025/आई/1 127543/2025/2 3-6099(099)/28 0/2025-दिनांक-3 0-10-2025	60.47 60.47 3.02 57.45	30.24	27.21	18.91	5.09	24.00
8	तदैव	नि.ख.-1 मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में सरवट फाटक से नसीपुर होते हुए रथेडी तक मार्ग के किमी०-2 में 2x5 मी स्पान के लघु सेतु के पुनः निर्माण का कार्य।	343/2025/आई/1 145178/2025/23 -6099/195/2025 -दिनांक-17-11-20 25	79.34 79.34 2.02 77.32	0.99	76.33	51.21	13.79	65.00
9	तदैव	सेतु निगम मुजफफरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा रोड (एस0एच0-12) पर किमी0-73 पर मोती झील पर पुराने क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर नये सेतु, पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण का कार्य।	68/2026/आई/1 260349/2026/2 3-6099/48/2026-दिनांक-10-03-2026	1466.93 1407.38 0.00 1407.38	146.69	1260.69	438.86	118.14	557.00
10	तदैव	सेतु निगम मुजफफरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में बरेली-बसेडा मार्ग पर निरगाजनी पावर हाउस के पास ऊपरी गंगा नहर शाखा पर क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर 02 लेन सेतु और पहुंच मार्ग एवं निरगाजनी झाल पर पवन चक्की के निकट ऊपरी गंग नहर शाखा पर 02 लेन सेतु और पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	137/2026/आई/1 278092/2026/2 3-6099/107/202 6-दिनांक-24-03-2026	1510.24 1427.90 0.00 1427.90	528.58	899.32	146.05	39.32	185.37
कुल योग								**998.67**	**268.84**	**1267.51**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 9,98,67,000 (रुपये नौ करोड़ अट्ठानबे लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 2,68,84,000 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख चौरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबास राम)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

www.shasanadesh.up.gov.in